



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से मारपीट व छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 ₹0 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 88/2016 धारा- 354ए, 323स 504, 506 भा0द0सं0 व 7/8 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सर्वेश पुत्र सुभाष लोधी नि0 गिरवर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते 04 वर्ष 10 माह व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अवध  
नरेश सिंह चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0 विपिन कुमार  
सिंह



पैरोकार- थाना मझगवां  
का0 सर्वज्ञ